न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 90 / 2024 दायर दिनांक: 03.07.2024

उनवान

1. महावीर कुमार पि. बापूलाल जाति महाजन जैन नि. पिडावा तहसील पिडावा
2. मुकेश कुमार पि. बापूलाल जाति महाजन जैन नि. पिडावा तहसील पिडावा

– प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील रायपुर जिला झालावाड

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति अभिभाषकगण :–
अभिभाषक प्रार्थीगण :– श्री महेन्द्रसिंह जैन
अप्राथी :– पैरोकार सरकार

आदेश दिनांक : 05.12.2025

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम सिरपोई गूजरान पटवार हल्का माथनिया तह० रायपुर की आराजी खाता संख्या नया 144 पुराना 128 के खसरा नं. 340 रकबा 0.8979 है०, खसरा नं. 343 रकबा 0.8726 है०, खसरा नं. 348 रकबा 2.8201 है० कुल खसरे 3 कुल रकबा 4.5906 है० दर्ज है। नकल जमाबंदी सम्वत 2073 से 2076 संलग्न है। यह कि पैरा नं. 1 में वर्णित आराजी बापू पुत्र रतनलाल महाजन सा. पिड़ावा के नाम दर्ज हो रहा है। जबकि बापूलाल के पिता का नाम जड़ावलाल है। यह त्रुटि राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज के दौरान राजस्व कर्मचारियों की भूल से हुई है। जबकि ग्राम सिरपाई की जमाबंदी सम्वत 2022 से 2025 में अन्य खाते खतोनी संख्या 95 में बापूलाल पिता जड़ावलाल महाजन सा. पिड़ावा दर्ज है। यह कि वर्तमान खाते में बापूलाल पिता का नाम रतनलाल त्रुटि से लिखा गया है जबकि रतनलाल बापूलाल के दादाजी का नाम है। यह कि बापूलालजी की मृत्यु दिनांक 27.08.2020 को हो गयी है प्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:38:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

मृतक खातेदार बापूलाल के पुत्र है। मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत है। यह कि बापूलाल जी के नाम दर्ज हो रही अन्य खाते ग्राम पिड़ावा की खाता संख्या 354 ग्राम मोहम्मदपुरा के खाता संख्या 24 में भी बापूलाल के पिता का नाम जड़ावलाल दर्ज हो रहा है। बापूलाल का नाम आधार, पहचान–पत्र में भी बापूलाल के पिता का नाम जड़ावलाल दर्ज है। यह कि प्रार्थीगण के पटवारी हल्का व तहसीलदार से उक्त वर्णित त्रुटि को ठीक करने का इन्द्राज दुरुस्ती के लिए निवेदन किया तो उन्होने माननीय न्यायालय में उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की सलाह दी। इस कारण यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। यह कि पैरा नं. 1 में वर्णित आराजी पर प्रार्थीगण का कब्जा–काश्त उनके पिता के समय से चला आ रहा है। यह कि पैरा नं. 1 में वर्णित आरती में खाते में दर्ज प्रार्थीगण के पिता बापू पुत्र रतनलाल के स्थान पर बापूलाल पुत्र जड़ावलाल संशोधित (इन्द्राज में दुरुस्ती) किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। यह कि प्रार्थना पत्र उचित न्यायशुल्क पर अवधि मध्य व माननीय के अधिकार क्षेत्र में प्ररतुत है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम सिरपोई गूजरान पटवार हल्का माथनिया तह० रायपुर की आराजी खाता संख्या नया 144 पुराना 128 के खसरा नं. 340 रकबा 0.8979 है०, खसरा नं. 343 रकबा 0.8726 है०, खसरा नं. 348 रकबा 2.8201 है0 कुल खसरे 3 कुल रकबा 4.5906 है0 में दर्ज खातेदार बापु पुत्र रतनलाल महाजन सा. पिड़ावा के स्थान पर बापुलाल पिता जड़ावलाल संशोधित कर राजस्व रेकार्ड में सही इन्द्राज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। पैरोकार सरकार की तलबी जर्ये सम्मन की गई। पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र क्र. भू.अ./2024/848 दिनांक 28.10.2024 को पेश किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा पेश जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थीगण महावीर कुमार पुत्र बापूलाल वगै. जाति महाजन नि० पिडाना द्वारा श्रीमान के न्यायालय उपखण्ड पिडावा के यहां नाम शुद्धि बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया [illegible]। प्रार्थना पत्र की जाँच परवारी हल्का माथनिया से कराई गई है। जाँच [illegible] पर पाया कि प्रार्थीगण के पिता दादा के नाम राजस्व [illegible] की जमाबंदी में

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:38:32 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी * पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

खाता सं. 144 किता 3 रकबा 4.5906 में खातेदार बापु पुत्र रतनलाल दर्ज है। लेकिन सेटलमेन्ट जमाबंदी में खातेदार का नाम बापू पुत्र रतनलाल जाति महाजन सा पिडावा दर्ज है। इनकी मौका रिपोर्ट व व्यक्तिगत दस्तावेजों की रिपोर्ट पटवारी पटवार मण्डल पिडावा से मंगवाना उचित होगा। तहसीलदार पिडावा ने पत्र क. भू.अ./2024/28 दिनांक 08.01.2025 को जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण स० 90/24 महावीर कुमार बनाम राजस्थान सरकार अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट में प्रार्थी कस्बा पिडावा का रहने वाला है। मुताबिक आधारकार्ड प्रार्थी महावीर कुमार जैन पुत्र बापूलाल जाति महाजन निवासी खण्डपुरा पिडावा का है। संलग्न मुताबिक मृत्यु प्रमाण प्रार्थी के पिता बापूलाल के पिता जडावलाल जाति महाजन है। मुताबिक ग्रामवासियान जडावलाल के पिता का नाम रतनलाल होना बताया गया हैं। मुताबिक जमाबन्दी ग्राम पिडावा सम्वत 2074–77 के प्रार्थी महावीर कुमार के पिता का नाम बापुलाल हैं संलग्न है। प्रकरण में वस्तुस्थिति की रिर्पोट श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है। संलग्न रिर्पोट पटवारी हल्का पिडावा व आधार कार्ड व नकल जमाबन्दी। तहसीलदार रायपुर ने पत्र क. भू.अ./2024/58 दिनांक 29.01.2025 को पुनः जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण महावीर कुमार पुत्र बापूलाल वगै. नि. पिडावा द्वारा श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय पिडावा के यहां नाम शुद्धि हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र की जांच पटवारी हल्का माथनिया से करायी गई है। श्रीमान जांच करने पर पाया गया कि प्रार्थीगण के पिता दादा के नाम राजस्व ग्राम सिरपोई गुजरान की जमा खाता संख्या 144 किला 3 रकबा 4.5906 है. में खातेदार का नाम बापु पुत्र रतनलाल जाति महाजन सा. पिडावा दर्ज है. व सेटलमेन्ट जमाबंदी संवत 2022 में भी खातेदार का नाम बापु पुत्र रतालाल जाति महाजन सा. पिडावा दर्ज है। प्रार्थी के द्वारा अन्य किसी भी प्रकार के कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं। अतः रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में पेश है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:38:32 IST
Reason: SelfAttested

3. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य ग्राम पिडावा का खाता सं. 354 जमाबंदी सं. 2074–77, ग्राम सिरपोई का खाता सं. 24

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

जमाबंदी सं. 2072–75, ग्राम सिरपोई का खाता सं. 95 जमाबंदी सं. 2022–25, ग्राम सिरपोई की खसरा गिरदावरी सं. 2029–31, बापूलाल का आधारकार्ड (848512103148), बापूलाल का मृत्यु प्रमाणपत्र, महावीर कुमार का आधारकार्ड (756249515642), मुकेश का आधारकार्ड (289223511725), ग्राम सिरपोई का खाता सं. 79 सेटलमेंट जमाबंदी सं. 2022–41, ग्राम पंचायत पिडावा का प्रमाण पत्र दिनांक 16.04.1970, ग्राम मोहम्मदपुरा का नामा.सं. 136 दिनांक 08.06.2024, ग्राम सिरपोई का खाता सं. 93 जमाबंदी सं. 2018–21, खाता सं. 79 जमाबंदी सं. 2028–31, खाता सं. 79 जमाबंदी सं. 2022–41, खसरा गिरदावरी ख.नं. 69, 70, 71 व अन्य खसरा नं. पेश की तथा साक्ष्य गवाहान प्रेमकुमार पि. कजोडीमल, लालचन्द पि. केसरीमल के शपथपत्र AW-1 to AW-2 पेश किये।

4. अभिभाषक प्रार्थीगण एवं पैराकार सरकार की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीगण ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम सिरपोई गुजरान की वादग्रस्त आराजी खाता सं. 144 किता 3 कुल रकबा 4.5906 है. भूमि प्रार्थीगण के पिता बापूलाल के खाते दर्ज रिकार्ड है लेकिन राजस्व कार्मिको द्वारा गलत तरीके से प्रार्थीगण के दादा का नाम जडावलाल के स्थान पर रतनलाल दर्ज कर दिया गया है। प्रार्थीगण के पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र में बापूलाल के पिता का सही नाम जडावलाल दर्ज है। आगे तर्क किया कि ग्राम सिरपोई गुजरान की सेंटलमेंट विभाग की जमाबंदी सं. 2022–41 में वादग्रस्त आराजी खाता सं 77 ख.नं. 69, 70, 71, 326, 340, 343, 344, 348, 470, 573, 504 कुल किता 11 कुल रकबा 43–03 बीघा बापूलाल वल्द रतालाल कोम महाजन नि. पिडावा के खाते दर्ज है। इसी ग्राम सिरपोई गुजरान की अन्य भूमि की जमाबंदी सं. 2018–21 एवं 2022–25 में खाता सं. 93 ख.नं. 29, 34, 35, 123, 183, 184, 187, 395, 495, 496 किता 10 कुल रकबा 42–13 बीघा में प्रार्थीगण के दादा का सही नाम बापूलाल वल्द जडावलाल महाजन नि. पिडावा दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार ग्राम सिरपोई गुजरान की वादग्रस्त आराजी की खसरा गिरदावरी सं. 2017–18 में कृषक का नाम जडावलाल वल्द मतालाल महाजन नि. पिडावा दर्ज था। अभिभाषक प्रार्थीगण ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:38:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

आगे तर्क किया कि न्याय पंचायत पिडावा द्वारा अपने आदेश दिनांक 16.04.1970 में बापूलाल को जडावलाल का मृतबन्ना घोषित किया था और प्रार्थीगण बापूलाल के वारीसान है। प्रार्थीगण ने जडावलाल के पारिवारिक शजरे के संबंध में पिडावा के बुजुर्ग व्यक्तियों एडब्ल्यू 1 प्रेमकुमार जैन उम्र 72 साल एवं एडब्ल्यू 2 लालचन्द जैन उम्र 80 साल के शपथपत्र पेश किये है जिसमें उन्होने स्वीकार किया है कि रतनलाल उर्फ रत्तालाल के पुत्र का नाम जडावलाल था। जडावलाल के पुत्र का नाम बापूलाल है। अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा आगे तर्क किया गया कि ग्राम पिडावा की आराजी हाल खाता सं. 354 किता 17 कुल रकबा 4.9701 है. एवं ग्राम मोहम्मदपुरा की आराजी हाल खाता सं. 24 कित 10 कुल रकबा 7.2212 है. बापूलाल पि. जडावलाल के खाते दर्ज रिकार्ड है जिसका फोती नामा.सं. कमशः 2376 दिनांक 03.01.2024 व 136 दिनांक 11.06.2024 दर्ज हो चुके है। अतः प्रार्थीगण के दादा का नाम जडावलाल था जिसमें प्रार्थीगण के पिता बापूलाल को गोद लिया था और इसलिए बापूलाल के गोदग्रहिता पिता का सही नाम जडावलाल है, ना कि रतनलाल। रतनलाल उर्फ रत्तालाल जडावलाल के पिता थे लेकिन राजस्व कार्मिको ने बिना किसी आदेश के जमाबंदियों की प्रविष्टियों में परिवर्तन कर प्रार्थीगण के दादा का नाम जडावलाल के स्थान पर रतनलाल उर्फ रत्तालाल कर दिया गया है। अतः राजस्व कार्मिको द्वारा राजस्व रिकार्ड में की गई उक्त लिपीकीय त्रुटी को धारा 136 एलआरएक्ट के अधीन दुरूस्त किया जावे।

5. पैरोकार सरकार द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि ग्राम सिरपोई तहसील रायपुर की वादग्रस्त आराजी की सेंटलमेंट से पूर्व एवं बाद की जमाबंदियो में खातेदार का नाम बापू वल्द रत्तालाल महाजन नि. पिडावा दर्ज रिकार्ड है जबकि बापू के जैविक पिता का नाम हजारीलाल था। जडावलाल ने बापूलाल को गोद लिया हो इसका कोई दस्तावेज प्रार्थीगण द्वारा पेश नहीं किया है लेकिन पेश मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार बापूलाल के पिता का नाम जडावलाल महाजन है। ग्राम वासियों द्वारा जडावलाल के पिता का नाम रतनलाल होना बताया गया है लेकिन ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थीगण द्वारा पेश नहीं किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:38:32 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व कार्मिको द्वारा सं. 2018–21 से लेकर आज तक वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में कोई लिपीकीय या टाईपिंग त्रुटी नहीं की है। सेंटलमेंट से पूर्व से ही खातेदार का नाम बापू वल्द रत्तालाल चला आ रहा है।

6. अभिभाषक प्रार्थीगण एवं पैराकार सरकार की बहस के प्रकाश में पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। ग्राम सिरपोर्ठ गुजरान क वादग्रस्त आराजी हाल खाता सं. 144 किता 3 रकबा 4.5906 है. की पेश सेंटलमेंट विभाग की जमाबंदी सं. 2022–41 में खातेदार का नाम बापूलाल वल्द रतालाल कोम महाजन नि. पिडावा दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण ने बहस के दौरान स्वीकार किया है कि उनके पिता बापूलाल के जैविक पिता का नाम हजारीलाल था लेकिन बापूलाल को उनके नाना जडावलाल द्वारा गोद लिया गया था और इसलिए बापूलाल जडावलाल का गोदपुत्र या मुतबन्ना था। प्रार्थीगण द्वारा पेश न्याय पंचायत पिडावा के अप्रमाणित पत्र दिनांक 16.04.1970 में आवेदक बापूलाल के प्रार्थना पत्र दिनांक 02.04.1970 पर न्याय पंचायत पिडावा के चेयरमेन ने रिजर्व बैंक जयपुर में जागीर बैंड बनने किसी संदर्भ में बापूलाल को जडावलाल का मुतबन्ना बताकर जायदाद का मालिक बताया है। *यह सही है कि न्याय पंचायत पिडावा को किसी व्यक्ति को किसी का गोदपुत्र/दत्तकपुत्र घोषित करने का कोई अधिकार नहीं था। प्रार्थीगण द्वारा कोई भी ऐसा दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे हिन्दू माईनिरिटी एवं संरक्षकता अधिनियम् 1956 के प्रावधानो के अधीन प्रार्थीगण के पिता बापूलाल को उसके नाना जडावलाल द्वारा गोद लिया जाना या सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा दत्तक पुत्र घोषित किया जाना जाहिर होता हो।*

7. भू.प्रबंध विभाग की जमाबंदी सं. 2022–41 में वादग्रस्त आराजी के खातेदार का नाम लगातार बापू वल्द रतालाल महाजन दर्ज था लेकिन पेश जमाबंदी सं. 2057–60 में वादग्रस्त आराजी में खातेदार का नाम बापू पुत्र रतनलाल जाति महाजन नि. पिडावा दर्ज है। वर्तमान जमाबंदी सं. [illegible]3–76 में वादग्रस्त आराजी में खातेदार का नाम बापू पि. रतनलाल जाति महाजन नि.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:38:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

5– यह कि बापूलाल जी के नाम दर्ज ...

Scanned with OKEN Scanner

पिडावा दर्ज है। अतः स्पष्ट है कि भूप्रबंधन के बाद राजस्व कार्मिको द्वारा वादग्रस्त आराजी के खातेदार बापू के पिता का नाम रतालाल से बदलकर रतनलाल कर दिया गया। उक्त परिवर्तन किस आदेश से किया गया है यह पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। सं. 2022 से सं. 2080 तक सभी जमाबंदियो में खातेदार बापू के पिता का नाम जडावलाल दर्ज नहीं है और जब जडावलाल दर्ज ही नहीं है तो फिर इसे राजस्व कार्मिको द्वारा बदलकर रतालाल या रतनलाल किये जाने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी की सेंटलमेंट से पूर्व की कोई जमाबंदी पेश नहीं की है। प्रार्थीगण द्वारा ग्राम सिरपोई गुजरान की जिस आराजी की सं. 2018–21 की जमाबंदी पेश की गई है उसमें खातेदार का नाम बापू वल्द जडावलाल दर्ज है लेकिन उक्त आराजी की सेंटलमेंट के बाद की कोई भी जमाबंदियां पेश नहीं की गई है। प्रार्थीगण द्वारा पेश ग्राम पिडावा के खाता सं. 354 किता 17 की जमाबंदी सं. 2074–77 दिनांक 01.02.2024 में खातेंदार का नाम बापूलाल पि. जडावलाल जबकि ग्राम मोहम्मदपुरा के खाता सं. 24 किता 10 की जमाबंदी सं. 2072–75 दिनांक 03.05.2024 में खातेदार का नाम बापूलाल मुतबन्ना जडावलाल दर्ज है। *यहां यह उल्लेखनीय है कि ग्राम पिडावा या मोहम्मदपुरा या सिरपोई गुजरान की अन्य भूमियों में खातेदार का नाम बापूलाल पि. जडावलाल या बापूलाल मुतबन्ना जडावलाल दर्ज होने का आशय यह बिल्कुल नहीं है कि राजस्व कार्मिको द्वारा ग्राम सिरपोई की उक्त वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में त्रुटी कर खातेदार का नाम बापू वल्द रतालाल दर्ज कर दिया गया हो। प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी की सेंटलमेंट से पूर्व की जमाबंदियां पेश नहीं करने से यह भी जाहिर नहीं है कि सेंटलमेंट विभाग द्वारा दौराने सेटलमेंट खातेदार के नाम में कोई त्रुटी की हो।* प्रार्थीगण द्वारा पेश वादग्रस्त आराजी की खसरा गिरदावरी सं. 2017–18 के कालम सं. 23 व 24 में कृषक का नाम जडावलाल वल्द मतालाल कोम महाजन नि. पिडावा जबकि उपकृषक का नाम जैली चेनसिंह वल्द नाथूलाल कोम गुर्जर नि. सिरपोई गुजरान दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:38:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

8. राजस्व रिकार्ड के निरीक्षण के दौरान ज्ञात किसी भी प्रकार की लिपीकीय त्रुटि एवं अन्य त्रुटी जिसे सभी पक्षकारान दर्ज होना स्वीकारते है– को लेण्ड रिकार्ड ऑफिसर द्वारा निर्धारित प्रकिया के तहत दुरूस्त किया जाता सकता है और ऐसे प्रत्येक परिवर्तन का इन्द्राज वार्षिक रजिस्टर में किया जावेगा। राजस्व रिकार्ड में भू प्रबन्धन एवं सर्वे की कार्यवाही के दौरान, सेग्रीगेशन के दौरान, नामा नरदीक करते समय, फर्द–बदर/चौसाला तैयार करते समय राजस्व कार्मिकों द्वारा मूल प्रविष्टि में की गई लिपिकीय त्रुटि या टाईपिग त्रुटी या रेकार्ड के निरीक्षण के दौरान भू अभिलेख अधिकारी को ज्ञात उभयपक्ष द्वारा स्वीकृत त्रुटि को धारा 136 एलआरएक्ट के अधीन भू अभिलेख अधिकारी द्वारा दुरूस्त किया जा सकता है। यहां सुविधा के लिए धारा 136 एलआरएक्ट के प्रावधानो का अवलोकन आवश्यक है जो निम्नानुसार है :–

<u>136. Correction of errors</u> – The land Records Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register: Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties.

9. धारा 136 एलआरएक्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व रिकार्ड में राजस्व कार्मिको या सेंटलमेंट विभाग के कार्मिको द्वारा की गई लिपीकीय व टाईपिग या उभयपक्ष द्वारा स्वीकार की गई त्रुटी को ही दुरूस्त किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा उपलब्ध कराये गये रिकार्ड के आधार पर वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में राजस्व कार्मिको ... खातेदार के नाम कोई त्रुटी नहीं की गई है। केवल पिता के नाम रतीलाल के स्थान पर रतनलाल किया जाना जाहिर होता है जिसका अनुतोष प्रार्थीगण द्वारा चाहा नहीं गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:38:32 IST
Reason: Self Attested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

वादग्रस्त आराजी के उपलब्ध कराये गये रिकार्ड के अनुसार खातेदार बापू के पिता का नाम में त्रुटी कर जड़ावलाल की जगह रतालाल या रतनलाल किया जाना साबित नही होता है। अतः त्रुटी साबित हुए बिना धारा 136 एलआरएक्ट में नाम दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित नहीं है। प्रार्थीगण धारा 88 आरटीएक्ट सहपठित धारा 136 एलआरएक्ट में सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है।

10. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं साक्ष्य के आधार पर ग्राम रिसपोई गुजरान तहसील माथनिया की जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 144 किता 3 रकबा 4.5906 है. कृषि भूमि में खातेदार बापू के पिता के नाम में राजस्व कार्मिको द्वारा त्रुटी कर जड़ावलाल के स्थान पर रतालाल दर्ज किया जाना साबित नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. खारीज किये जाने योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

11. परिणामतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. बावत इन्द्राज दुरूस्ती न्यायहित में खारीज किया जाता है। प्रार्थीगण धारा 88 आरटीएक्ट सहपठित धारा 136 एलआरएक्ट में सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है।

यह निर्णय आज दिनांक 05.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

05/12/2025

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:38:32 IST
Reason: SelfAttested

5– यह कि बापुलाल जी के नाम दर्ज हो रही अन्य खाते ग्राम ...

Scanned with OKEN Scanner